

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020 भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

WAR STATE

संख्या 1572 / 79—वि—1-20-1(क) 24-20 लखन्स, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे माध्यमिक शिक्षा अनुमाग–7 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2020

> (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2020) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क संक्षिण नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 9 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४० सन् २०१८ की धारा २ का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

(च च) ''स्विवत्तपोषित स्वतंत्र विद्यालयों के मण्डलीय अपीलीय प्राधिकरण'' का तात्पर्य धारा ९ के अधीन गठित मण्डलीय स्वित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय के प्राधिकरण से हैं;

(ख) खण्ड (य) निकाल दिया जायेगा।

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में, निम्नलिखित उपधारा (3) बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

(3) 'इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, असाधारण स्थितियों या आपात जैसी परिस्थितियों, जो दैवीय कृत्यों, महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों या क्रांतियों, जनान्दोलनों, बाढ़ों आदि तक सीमित न हों, में राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष हेतु विद्यमान छात्रों व नव प्रवेशित छात्रों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा ऐसे समय तक जब तक पूर्वोक्त संभाव्यताएं विद्यमान हों या ऐसे समय तक जैसा कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन प्रतीत हो, प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का विनियमन कर सकती है।

धारा 8 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखत उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

(11) जहाँ मान्यता प्राप्त विद्यालय या कोई व्यक्ति, जिला शुल्क नियामक समिति के विनिश्चय से व्यथित हो,वहाँ वह ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर यथा विहित रीति से अपील, धारा ९ में निर्दिष्ट मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण को कर सकता है।

धारा ९ का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 9 में,-

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

"मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण";

- (ख) उपधारा (1), (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात:—
- (1) राज्य के समस्त मण्डलों में एक स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय प्राधिकरण होगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

1-मण्डलीय सभापति-आयुक्त

2-अपर निदेशक, कोषागार-सदस्य

3-मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक-सदस्य सचिव

उपरोक्त अपीलीय प्राधिकारी अपेक्षानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट की सहायता ले सकते हैं:

(2) उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 11 में उपबन्धित कोई अपीलीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक कि सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना के माध्यम से राज्य के समस्त मण्डलों में मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण का गठन न कर दिया जाय;

(3) अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील की सुनवाई के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन उपबन्धित सिविल न्यायालय और अपील न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित विनिश्चय अन्तिम होगा।

6—मूल अधिनियम की धारा 11 में शब्द ''राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण'' के स्थान पर शब्द ''मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण'' रख दिए जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

निरसन और व्यावृत्ति 7—(1) उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में स्विवित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालयों में शुल्क विनियमन तथा उससे सम्बन्धित या अनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश स्विवत्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2018) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में विद्यमान छात्रों के लिए वार्षिक शुल्क में वृद्धि करने और नये छात्रों के लिए वार्षिक शुल्क का अवधारण करने का उपबन्ध था। तथापि, आपात/विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा लोकृहित में शुल्क वृद्धि को विनियमित करने हेतु विद्यालयों को अनुदेश देने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। पूर्वोक्त अधिनियम में मण्डलीय अपील प्राधिकरण के लिए भी उपबन्ध नहीं था। अतएव यह विनिश्चय किया कि ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों को प्राप्त करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।

चूँिक राज्य विधान मण्डल सन्न में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 जून, 2020 को उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुर स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, जे0पी0 सिंह—II, प्रमुख सचिव।

No. 1572(2) /LXXIX-V-1-20-1(ka) 24-20

Dated Lucknow, August 31, 2020

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Swavittaposhit Swantantra Vidalaya (Shulk Vniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Madhyamik Shiksha Anubhag-7, is administratively concerned with the said adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH SELF FINANCED INDEPENDENT SCHOOLS (FEE REGULATION) (AMENDMENT) ACT, 2020

(U. P. Act no. 21 of 2020)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Self-financed Independent Schools (Fee Regulation) Act, 2018,

IT IS HEREBY enacted in the Seventy first Year of the Rupublic of India as

follows :-

Short title and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Self-Financed Independent Schools (Fee Regulation) (Amendment) Act, 2020;
- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from April 9, 2018.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 40 of 2018

- 2. In section 2 of the Uttar Pradesh Self-Financed Independents schools (Fee Regulation) Act, 2018 hereinafter referred to as the Principal Act,
 - (a) after clause (f) the following clause shall be inserted, namely:-
- (ff) "Divisional Appellate authority of Self-Financed Independent Schools" means Divisional Self-Financed Independent Schools Authority constituted under section-9;

(b) clause (z) shall be omitted

Amendment of section 4

- 3. In section 4 of the principal Act, the following sub-section (3) shall be inserted, namely:
- (3) "Notwithstanding anything contained in this Act, in extraordinary conditions or emergent circumstances like, but not limited to Acts of God, Epidemics, Natural Calamities, Wars or Revolutions, Civil commotions, Floods, etc; the State Government may by order, regulate the fees to be charged by the recongnized schools, from existing students and newly admitted students for each academic year till such time the aforesaid eventualities exist or till such time as seems expedient in public interest to do so."

Amendment of section 8

- 4. In section 8 of the principal Act for sub-section (11) the following sub-section shall be substituted, namely: -
- (11) Where the recognized school or any person is aggrieved by the decision of the District Fee Regulatory Committee, it may, within thirty days from the date of such decision, prefer an appeal, in such manner as may be prescribed to the Divisional Self-Financed Independent School Appellate Authority referred to in section 9.

5. In section-9 of the Principal Act,

Amendment of section 9

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely: -

"Divisional Self-Financed Independent School Appellate Authority";

- (b) for sub-sections (1), (2) and (3) the following sub-sections shall be substituted, namely: -
- (1) There will be a Self-Financed Independent School Authority in all the divisions of the State, which will include: -
 - 1. Divisional Chairman- Commissioner
 - 2. Additional Director Treasury- Member
 - 3. Divisional Joint Director of Education- Member Secretary

The above Appellate Authority may seek the Assistance of Chartered Accountant as required.

- (2) An Appellate Authority, provided in section 11 of the Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutes (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006 shall function as Self-Financed Independent School Appellate Authority for the purpose of this Act unless a Divisional Self-Financed Independent School Appellate Authority is constituted in all Divisions of the State by the Government by notification in the *Gazette*;
- (3) The Appellate Authority shall have powers of civil court as well as appellate court provided under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) while hearing appeal. The Decision passed by the Divisional Self-Financed Independent School Appellate Authority shall be final.
- 6. In section 11 of the principal Act, for the words "the State Self-Financed Independent School Appellate Authority", the words "the Divisional Self-Financed Independent School Appellate Authority" shall be substituted.

Amendment of section 11

U.P. Ordinance

no. 12 of 2020

Repeal and saving

- 7. (1) The Uttar Pradesh Self-Financed Independent Schools (Fee Regulation) (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Self-Financed Independent Schools (Fee Regulation) Act, 2018 (U.P. Act no. 40 of 2018) has been enacted to provide for regulation of fees in self-financed independent schools in the State of Uttar Pradesh and the matters connected therewith or incidental thereto. In the said Act, there was a provision for increasing the annual fee for existing sudents and determination of the annual fee for new students. However, there was no clear arrangement to give instruction to the schools to regulate the increase in fee in the public interest

under the emergent/special circumstances by the State Government. The aforesaid Act also did not have the provision for Divisional Appellate Authority. Therefore it was decided to amend the aforesaid Act to achieve the above mentioned purposes.

Since the State Lagislature was not in session and immediate Legislature action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar pardesh Self-Financed Independent Schools (Fee Regulation) (Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 12 of 2020) was promulgated by the Governor on June 17, 2020.

Secret by the secret party of place on Carl Company to a fer a deal of

reference of a teach place of the provided as the second of the second o

The transactive liberal and leading to the "and Egylia" or visiting in John School and each

Professional Management of the Profession of the

The Missississ of a sender fails of range 20 that death and the fails

The State of Section Control of

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० २०२ राजपत्र-(हिन्दी)-२०२०-(५८६)-५९९ प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० १६० सा० विधायी-२०२०-(५८७)-३०० प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।